(b) No. of rent cases pending in Courts as on 1.1.1995.

	No. of rent cases pending	No. of rent cases pending over 5 years
Supreme Court	1128	335
Delhi High Court	1,584	1,176
Til Hazari Courts Delhi.	18,784	5,463

(c) No. of criminal cases pending in courts as on 1.11.1995.

	No. of criminal cases pending	No. of criminal cases pending over 5 years
Supreme Court	7,713	2,439
Delhi High Court	4,439	3,633
Delhi Courts	4,28,323	34,729

(d) Criminal disputes, which are compoundable are already being taken up by Lok Adalats.

(e) In order to consider the problem of arrears of cases in Courts and find out ways and means to deal with it as expeditiously as possible, a meeting of the Chief Ministers and Chief Justices of the High Courts was held on 4th December, 1993 under the Chairmanship of the Prime Minister. The resolutions adopted in the Conference have been commended to all the State Governments/UT Administrations and High Courts for necessary action. Further, the Administrations of Justice has been made a plan item, with a view to remove infrastructural bottlenecks coming in the way of expeditious disosal of cases. In addition, the Supreme Court has also taken various steps to expedite the disposal of cases, which include grouping together of similar matters and larger groups being priority in listing, setting apart three days of week for regular hearing matters and Constitution of specialised benches etc. The working hours of the Supreme Court have also been extended by half an hour.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं हेतु शुल्क

*438. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:**
श्री कृष्णलाल शर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विभिन्न चिकित्सा तथा अन्य शुल्कों में कई गुना वृद्धि कर दी गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) संसद में हुए तीव्र विरोध व संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सकों की अनिच्छा के बावजूद शुल्कों में कई गुना वृद्धि किए जाने और उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने के क्या कारण है और यह वृद्धि किसके आदेश से की गई;

(ग) क्या सरकार सामान्य जनता को बेहतर व सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो क्या सरकार सामान्य जनता के जीवन के रक्षार्थ संस्थान के विभिन्न चिकित्सा व अन्य शुल्कों में की गई वृद्धि को वापस लेना चाहेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सामान्य जनता की चिकित्सा पर इस वृद्धि का क्या असर पड़ेगा और सबको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चरण—1 में संशोधित अस्पताल-प्रभारों का ब्यौरा उपाबंध में दिया गया है।

(ख) ये प्रभार अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने तथा इसका बेहतर रोगी परिचर्या के लिए उपयोग के लिए हैं।

(ग) और (घ) सरकार आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इसलिए निर्धन रोगियों के लिए सभी अस्पताल प्रभारों में पूरी छूट प्रदान करने का प्रावधान है। बाह्य रोगी विभाग/सामान्य वार्ड और प्राइवेट वार्ड के लिए स्वीकृत दर ढांचे अलग-अलग हैं ताकि आम लोगों पर इनकी वृद्धि का कम से कम प्रभाव पड़े।

विवरण

चरण—1 में 10 अप्रैल, 1995 से आरंभ किए जा रहे संशोधित अस्पताल प्रभारों का ब्यौरा

I. प्राइवेट वार्ड:—

1. दाखिले के समय दाखिला प्रभार (न लौटाई जाने वाली राशि) प्रति दाखिला 100/-रुपये।

2. अस्पताल प्रभार प्रति दिन:—
   (क) "ए" — श्रेणी कक्ष : 900/—रुपये
   (ख) "बी" — श्रेणी कक्ष 600/—रुपये

3. नेमी जांच प्रभार (की गई जांचों की संख्या को हिसाब में लिए बिना) 150/-रुपये प्रतिदिन।
   नेमी जांच में केवल निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(क) रक्त	(ख) ब्लड केमिस्ट्री	(ग) अन्य
हीमोग्लोबिन	ब्लड शुगर	आर/ई यूरिन
टीएलसी	ब्लेक्ट्रोलाइटिस	एम/ई यूरिन
डीएलसी	ब्लड यूरिया	नेक्स आई
बीएसआर	ब्लड गसेस	सीएसएफ
पी/एस		सीएसएफ
प्लाटेलेट काउंट		ई सी जी

4. नेमी जांच में रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, एनएमआर, रिहेबिलिटेशन, डेंटिस्ट्रि और एच एल ए शामिल नहीं है। (ये मौजूदा दरों के अनुसार लिए जाएंगे। नई दरें विस्तृत जांच पड़ताल के बाद चरण—II में प्रभावित होंगी।

5. आहार प्रभार
   रोगी के लिए : 50 रुपये प्रतिदिन (ऐच्छिक)
   परिचर के लिए : 100 रुपये प्रतिदिन (ऐच्छिक)

6. आपरेशन और प्रक्रिया प्रभार वर्तमान दरों पर जारी रहेंगे। संशोधित दरें विस्तृत जांच पड़ताल के बाद चरण—II में लागू की जाएगी।

7. सभी औषधियां और प्रयोज्य सामग्री रोगी द्वारा प्रदान की जानी है। आपात स्थिति में जीवन रक्षक औषधियां अस्पताल द्वारा प्रदान की जाएंगी और बाद में रोगियों को इन्हें अस्पताल को देना होगा।

II. सामान्य वार्ड रोगी:—

1. सामान्य वार्ड में दाखिल रोगियों को, जिनमें अल्प अवधि दाखिले भी शामिल हैं, निम्नलिखित प्रभार देने होंगे:

		अध्युक्ति
दाखिला प्रभार (अल्प अवधि दाखिला सहित)	25/-रुपये (न लौटाई जाने वाली राशि)	चिकित्सा अधीक्षक/उप चिकित्सा अधीक्षक की विशेष अनुमति से प्रति रोगी प्रतिदिन 50 रुपये के भुगतान पर प्राइवेट वार्ड से आहार उपलब्ध कराया जा सकता है।
अस्पताल प्रभार (वार्ड, आहार सहित)	35/- रुपये प्रतिदिन, सामान्य	

2. नेमी जांचों के लिए, जैसा सूचित किया गया है; कोई प्रभार नहीं।

3. सामान्य वार्ड में एक्सरे सहित सभी नेमी परीक्षा प्रथम चरण में प्रभावित नहीं होंगे। नेमी जांच में केवल निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(क) रक्त	(ख) ब्लड केमिस्ट्री	(ग) अन्य
हीमोग्लोबिन	ब्लड शुगर	आर/ई यूरिन
टीएलसी	ब्लेक्ट्रोलाइट्स	एम/ई यूरिन
डीएलसी	ब्लड यूरिया	नेवड आई
ई एस आर	ब्लड गसेस	सीएसएफ
		ई सी जी
		पी/एस
		एब्डेलेट काउंट

4. एनएमआर, सीटी आदि जैसी विशेष जांचे, जिनके लिए इस समय सामान्य वार्ड के रोगियों से प्रभार लिया जा रहा है, वर्तमान दरों पर लिए जाते रहेंगे।

5. प्रक्रियाओं जिनमें बड़ी और छोटी शल्य प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, कोई प्रभार नहीं लिए जाएंगे। ऐसी प्रक्रियाओं के लिए नई दरें समुचित जांच-पड़ताल के बाद चरण-II में आरंभ की जाएंगी।

6. सभी औषधियां और प्रयोज्य सामग्री रोगी द्वारा सुलभ कराई जाएगी। तथापि, आपाती स्थिति में जीवन रक्षक औषधियां अस्पताल द्वारा प्रदान की जाएंगी और इन्हें रोगियों और रोगी के रिश्तेदारों द्वारा अस्पताल को लौटाना होगा।

III. केजुएल्टी

1. केजुएल्टी में सभी रोगियों का निःशुल्क उपचार होगा।

2. प्रक्रियाओं और जांचों के लिए कोई प्रभार नहीं होगा।

3. केजुएल्टी से सामान्य वार्ड या प्राइवेट वार्ड में स्थानांतरित होने पर रोगी से इन वार्डों में भर्ती होने के समय से सामान्य/प्राइवेट वार्ड के लिए निर्धारित दरों पर प्रभार लिए जाएंगे।

4. रोगी से केजुएल्टी में प्रक्रियाओं/जांचों के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा भले ही उसे बाद में प्राइवेट वार्ड/सामान्य वार्ड में भर्ती किया जाता है।

IV बाह्य रोगी विभाग

1. सामान्य बाह्य रोगी विभाग और विशेषज्ञ क्लिनिकों सहित बाह्य रोगी विभाग के लिए 10 रुपये पंजीकरण के लिए जाएंगे।

2. पुराने और अनुवर्ती उपचार वाले रोगियों को वर्ष के आरंभ में नए कार्ड बनाने होंगे।

3. सामान्य बाह्य रोगी विभाग या विशेषज्ञ क्लिनिकों या प्रति-परामर्श के लिए भेजे गए रोगियों को कोई पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा भले ही एक कलैंडर वर्ष में लिए गए परामर्शों की संख्या कितनी ही हो।

4. सामान्य वार्ड के लिए दर्शाए गए नेमी जांचों के लिए कोई प्रभार नहीं होंगे।

5. एक्सरे और विशेष जांचों के लिए, जिनमें साइटोपैथालाजी भी शामिल है, इस समय बाह्य रोगी विभाग में जो प्रभार लिया जा रहा है, वर्तमान दरों पर ही लिया जाएगा। ऐसी प्रक्रियाओं और विशेष जांचों के लिए संशोधित प्रभार विस्तृत जांच पड़ताल के बाद चरण—II में आरंभ किये जाएंगे।

V. चरण-I के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रबन्ध

(क) सामान्य वार्ड और प्राइवेट वार्ड के रोगी

1. सामान्य वार्ड और बाह्य रोगी विभाग के सभी प्रभारों पर प्राधिकृत कार्मिक द्वारा छूट दी जा सकेगी जैसा कि वास्तविक रूप से निर्धन रोगियों के लिए इस समय किया जाता है।

ऐसी छूट के लिए रोगी का उपचार करने वाले चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ रेजीडेंट द्वारा संस्तुति की जाएगी।

2. अस्पताल का रोकड़िया रोकड़ के लेन-देन में एक सीमा से अधिक वृद्धि हो जाने पर मामूली अतिरिक्त मदद पर वर्तमान समय की तरह कार्य करता रहेगा।

(इसका निर्णय वित्तीय नियम के अनुसार वित्तीय सलाहकार द्वारा किया जाएगा)।

3. रात्रि आठ बजे के बाद और रविवार और छुट्टी के दिनों में भर्ती रोगियों को विशिष्ट रंगीन शीट दी जाएगी, जैसा कि इस समय किया जा रहा है। इससे वार्ड की प्रभारी नर्स को अगले कार्य दिवस में ऐसे दाखिलों का पता लगाने में आसानी होगी। तब वह ऐसे रोगियों को आवश्यक अग्रिम का भुगतान करने को कहेगी, जैसा कि अन्य मामलों में किया जाता है।

4. प्राइवेट वार्ड में भर्ती रोगियों को इस समय "बी" श्रेणी के कमरे के लिए 5000/-रुपये और "ए" श्रेणी के कमरे के लिए 10,000/-रुपये अग्रिम राशि के बजाए क्रमशः 8000 रुपये और 12,000 रुपये दाखिले के समय देने होंगे। प्राइवेट वार्ड के रोगियों के बिल बनाने का कार्य अस्पताल के बिल अनुभाग द्वारा बनाना जारी रहेगा।

5. सामान्य वार्ड के रोगी को दाखिले के समय वर्तमान के 50 रुपये के बदले 350 रुपये अग्रिम जमा कराने होंगे।

6. रोगी के छुट्टी/मृत्यु के समय बिल बनाना, खातों का समायोजन और अग्रिम की वापसी की प्रक्रिया वर्तमान की तरह ही जारी रहेगी।

7. कोशिका विज्ञान, एन० एम० आर० आदि की विशेष जांच के लिए भुगतान चरण-II के कार्यान्वयन तक वर्तमान दर पर ही जारी रहेगा।

ख. बहिरंग रोगी विभाग

1. बहिरंग रोगी पंजीकरण शुल्क वर्तमान समय में एक रुपये के स्थान पर दस रुपये वसूल किया जाएगा।

2. विशेष जांचों के लिए जांच प्रभार वर्तमान स्तर पर चरण-II के कार्यान्वयन तक जारी रहेंगे।

3. मुख्य अस्पताल के राजकुमारी अमृत कौर बाह्य रोगी विभाग में केन्द्रीय पंजीकरण कार्यालय तथा संबंधित केन्द्रों के पंजीकरण पटलों द्वारा पुराने रोगियों के लिए दस रुपये की दर पर नए कार्ड केन्द्रीय रूप से जारी किए जाएंगे।

4. ऊपर बतलाई गई प्रक्रियाओं/जांचों के अलावा अन्य के लिए प्रभार प्रक्रिया जो इस समय है, चरण-II के कार्यान्वयन तक जारी रहेगी।

नोट : उक्त संशोधित अस्पताल प्रभार ऐसे रोगियों के लिए होंगे जिन्हें 10 अप्रैल, 1995 से अस्पताल में भर्ती किया जाता है।

Improved Cbulhas In Madhya Pradesh

*439. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to install more than two million improved chulhas in rural areas of the country during the year 1995-96;

(b) if so, the details thereof; and

(c) how many improved chulhas are likely to be installed in Madhya Pradesh during the said period, district-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes, Sir. A target of promotion of 24 lakh improved chulhas has been proposed for the year 1995-96 under the National Programme on Improved Chulhas (NPIC).

(b) NPIC provides for central subsidy to beneficiaries; one time remuneration to self employed workers and non-governmental organisations for installation and maintenance services; organisational infrastructure to State Governments and nodal agencies; various kinds of training programmes; Technical Back-up Units and publicity and extension.

(c) About 2.45 lakh chulhas are proposed to be installed in the State of Madhya Pradesh during the year 1995-96. The State Nodal Agency has planned a target of 3000 improved chulhas for the district of Bastar and 5500 improved chulhas for each of the remaining districts.